भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 2/2019

1 बदलूराम पुत्र शंकर।
2 महासिंह पुत्र हरीराम।
3 जयदयाल पुत्र भूराराम।
4 बाबूलाल नेहरा पुत्र बंशीधर।
5 काशीराम पुत्र श्रीराम।
6 कैलाश पुत्र मुकन्दराम समस्त जाति जाट निवासीगण जाटावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 जिला कलेक्टर सीकर।
2 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना।
3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।
4 ग्राम पंचायत हसामपुर पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर जरिये सरपंच।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व सेट अपार्ट आदेश अन्तर्गत धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलेक्टर सीकर श्री नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस. आदेश कमांक एफ 7(12)/2प कबि/भू.आ./राजस्व 28/2956–63 दिनांक 31.07.2018 जिसमें खसरा नम्बर 548/2 रकबा 9.40 किस्म चारागाह में से रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित कर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमर सिंह सूण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 28/2956–63 मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने ग्राम पंचायत हसामपुर के प्रस्ताव दिनांक 16.02.2017 एवं तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम जाटावास के खसरा नम्बर 548/2 किस्म चारागाह में से 0.44 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु विचाराधीन आदेश से आरक्षित किया है। इससे व्यथित होकर ग्राम जाटावास के निवासीगण द्वारा धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ग्राम जाटावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के निवासीगण है जिनका ग्राम जाटावास की भूमि खसरा नम्बर 548/2 रकबा 9.40 हैक्टेयर किस्म चारागाह में हित निहित है। क्योंकि भूमि खसरा नमबर 548/2 पहाड़ की तलहटी के पास है। पहाड़ में से बरसाती नाला आवंटित भूमि से होकर आता है और पास में ही तालाब है जिसमें पानी भरता है। अपीलांट एवं ग्रामवासियों के पशु उक्त जमीन में चरते है तथा तालाब में पानी पीते है। उक्त जमीन में से होकर प्रचलित रास्ते है जिनमें से होकर अपीलांट एंव अन्यों का आवागमन रहता है, जिसके कारण अपीलांट चुनौतीग्रस्त आदेश से

भू प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रभावित व्यक्ति है उन्हे चुनौतीग्रस्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। परन्तु अधिनस्थ कार्यवाही में पक्षकार नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपील दायरी की अनुमति हेतु अलग से भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमि खसरा नम्बर 548/2 रकबा 9.40 हैक्टेयर किस्म चारागाह ग्राम जाटावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की तन में स्थित है, जिसके चारों तरफ पशुपालकों व दूसरों की ढाणियां अवस्थित है। जो कि इस चारागाह भूमि में ही तालाब अवस्थित है, जिसमें पास में ही स्थित पहाड़ में से आंवटित भूमि में से होकर वर्षा ऋतु में इकटठा होता है। यदि उक्त भूमि के चारों तरफ चार दिवारी का निर्माण किया जावे तो वर्षा का पानी तालाब में नही आ पायेगा। जिसके कारण भूमिगत पानी रिचार्ज नहीं हो पायेगा तथा जनसमुदाय उक्त पीने का पानी के लिए तथा पशुओं के पीने के पानी से वंचित हो जायेगें। ग्राम जाटावास में कोई मुस्लिम आबादी नहीं है ग्राम हसामपुर में मुस्लिम आबादी है। ग्राम हंसामपुर के पुस्लिम समुदाय द्वारा ग्राम हंसामपुर के वर्तमान सरपंच विजेन्द्र सिंह तंवर को एकतरफा मत दिये थे। जिनके पास पूर्व से ही ग्राम हंसामपुर में कब्रिस्तान हेतु भूमि काम में ली जा रही होने तथा ग्राम हंसामपुर में ही सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 595 मे कब्रिस्तान हेतु भूमि आम रास्ते पर उपलब्ध होने के बावजुद ग्राम जाटावास में विवादित भूमि के सम्बध में अवैध रूप से प्रस्ताव तैयार करवाकर भिजवा दिया। जिसके आधार पर योग्य अधिनस्थ जिला कलेक्टर महोदय सीकर द्वारा अवैध रूप से चुनोतिग्रस्त आदेश पारित कर दिया गया। जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान में कब्रिस्तान हेतु राजस्व ग्राम हंसामपुर में आबादी भूमि में बने हुये कब्रिस्तान का उपयोग किया जा रहा है। पूर्व में ग्राम में कब्रिस्तान हेतु भूमि आंवटित नही है वर्तमान में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां कब्रिस्तान है वह जगह पूरी तरह से काम आ चुकी है तथा इसके चारों तरफ आबादी भी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान कब्रिस्तान का विस्तार सम्भव नही है। अत ग्राम जाटावास के खसरा नम्बर 548/2 किस्म चारागाह में 0.44 हैक्टेयर का किया गया आंवटन विधि सम्मत है अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा बरसाती नाले की भूमि एवं चारागाह में से आवंटन किया गया है। अपीलांट का तर्क है कि उनके ग्राम में मुस्लिम आबादी भी नही है। आवंटन से पूर्व ग्राम जाटावास के ग्रामवासियों को सुने बिना आंवटन कर दिया है। ऐसी स्थिति में बिना सुनवाई किया गया आंवटन विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये आंवटन के सन्दर्भ में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर